FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जिला कलक्टर, बाड़मेर बाड़मेर

अज अदालत अपीलार्थी–सत्यनारायण **मुकाम** उत्तरदाता– उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

बनाम

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **नं.** **सन्** 05/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	अपीलार्थी सत्यनारायण निवासी मांगीलाल पुत्र विष्णु राम मोची तनसिंह चौराहा के पास बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.09.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.09.2022 की प्रति संलग्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर जवाब हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया गया है। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हों। जिला कलक्टर बाड़मेर	